श्री शिव चन्द्र झा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये। कालिंग अटेंशन में महत्वपूर्ण विषय होते हैं। एक पत्रकार गिरफ्तार हो गया, मैंने उसका स्पेशल मेंशन दिया है लेकिन आज आपने उस पर मंजूरी दी है .... *(Interruptions)*

The Vice-Chairman (Shri A. G. Knlkarni) in the Chair.

श्री सभापति : आपके मुकाबले के लिए मैंने कुलकर्णी को बैठा दिया है।....

(J?»terrupiions)

SHRI SHYAM LAL YADAV (Uttar Pradesh): How Mr. Jha can speak when you are on your legs, Sir------------ (Interruptions'). This is highly improper.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Now we proceed to . Calling Attention.

SHRI PILOO MODY (Gujarat): I also have a complaint. I have been referred to as a Lok Da] M. P. A correction may please be made..

Interruption

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): What Mr. Jha is saying will not go on record.

SHRI SHIV CHANDRA JHA: *Continued to speak.*

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, have you made it sure that because you have become the Chairman very | soon, there will not be any CBI enquiry. *(Interruptions).*

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Growing atrocities on women in vari-•«s parts of the country creating a sense of insecurity among tliem because of the "'alleged collusion/involvement of the police

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal); Sir, I beg to call *Vhe* attention of the hon. Minister of Home Affairs to the growing atrocities on women in various parts of the country creating a sense of insecurity among them because of the alleged collusion| involvement of the Police.

गृह मंत्री (ज्ञानी जैल सिंह) : सर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलो के संबंध में रिपोर्टों का प्रेस में बहुत अधिक प्रचार किया गया और पुलिस के इन घटनाओं में शामिल होने तथा उसकी सांठ गांठ के आरोप भी लगाए गए हैं। अतः संसद् के माननीय सदस्यों, विशिष्ट वर्ग तथा सामाजिक संगठनों द्वारा इन कथित अत्याचारो के मामलों पर ठीक ही गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। किसी न किसी रूप में संसद् के दोनों सदनों में इन विशिष्ट मामलों को भी उठाया गया है।

सरकार बलात्कार महिलाओं के साथ छेड़खानी तथा शारीरिक रूप से उन्हें पीड़ित करने तथा दहेज की सामाजिक बुराई के कारण विवाहित महिलाओं की आत्महत्या और मृत्यु की तथाकथित ऐसी घटनाओं पर सामान रूप से चिंतित है। यद्यपि महिलाओं के सभी प्रकार के शोषण और अत्याचारों के लिये कानून बनाना और उसको सख्ती से लागू करना उनके संरक्षण के लिये कुछ उपाय हो सकते हैं परन्तु ये उपाय इस समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी जरूरत है, वह सामाजिक जागरुकता पैदा करने की है।

पुलिस के खिलाफ किसी भी प्रकार से सरकार के ध्यान में लाई गई गम्भीर शिकायतों की तुरन्त जांच की जाती है। हालांकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, फिर भी ऐसी सभी गंभीर शिकायतों की रिपोर्ट मंगवाई जाती हैं और इन रिपोर्टों की जांच करने

[ज्ञानी जैल सिंह]

के बाद दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पर्याप्त रूप से कार्यवाही करने की राज्यों को सलाह दी जाती है।

विधि आयोग ने अपनी 84वीं रिपोर्ट में बलात्कार के अपराध के बारे में कानूनी प्रावधानों में अनेक परिवर्तन करने की सिफारिश की है।. सिफारिशों में हिरासत में बलात्कार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है और इसका उद्देश्य बलात्कार से संबंधित वर्तमान कानून के उपबंधों की अनेक खामियों को दूर करना है। जैसा कि मैं इस सदन को पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक उचित संशोधित विधायन प्रस्तुत किया जाएगा ।

मैं एक बार फिर सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए सभी सम्भव उपायों को करने का पक्का इरादा कर रखा है ताकि वे न केवल सुरक्षा की भावना बल्कि सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें । समस्या के कानूनी और प्रवर्तन पहलुओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रश्न का सामाजिक आयाम है। अतः सामाजिक संगठनों, जन साधारण और समाचार पत्रों के सहयोग की बहुत अधिक जरूरत है और मैं उन सभी से अपील करूंगा कि वे इस समस्या को हल करने में अपना सहयोग और सहायता प्रदान करें।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very painful for us that after 31 years of independence, even today we have to point out the atrocities that are being committed on the women as a whole. Sir, I do not accuse any Government, whether at the Centre or at the State for this purpose. The whole society has to change its outlook. We will accuse the Government and we do when we find that the Governments, whether at the Centre or at the State, are not serious about it. They just sleep over it and no culprit is brought to book effectively as a deterrent so that others get afraid of doing it again.

Take for example the case that took place in Baghpat. How many days and weeks have passed? Even now those miscreants are going scot free. Just recently a delegation of lady MPs along with other social workers was there. They came back and reported the whole thing, but none of the miscreants in the police station hae been removed, as yet. Any action that they could have taken on the spot, has not yet been taken and these police officers are threatening everybody that if anybody came out to tender any evidence, their lives would be in danger. This is possible only because they have understood that the Governments, both at the Centre and at the State level, are callous about it. The first thing that they should have done is, they should have removed those persons from the police station so that they could not tamper with records. Instead of that they are threatening others and the whole thing is lying as it was from the days the atrocity took place.

Then there are thousands and thousands °* cases of murder because the party did not get the committed amount of dowry. Of course, there is an Act in this country, the Dowry Prohibition Act, 1961 but who takes recourse to this Act? The Government is callous about it. The society is ignorant about the legislation and there are so many defects in the Act. In that Act itself they say that anybody who wants to file a court case 'will have to take the permission of the State Government. May I know why State Government comes into the picture? Why has anybody to ask for the permission of the state Government? It is the onus on the judiciary. If on hearing a case any investigation is necessary, the Court will investigate. Why will the case go to the

State Government and when they give their consent for prosecution, then only it will be done? Although we are serious about amending the Dowry Prohibition Act, but what about the murders that are taking place? Why are the culprits not caught? There could have been homocidal charges against them, but there are none because in most of the cases the lower ranked officers in the police are bribed. Because the other party can pay, the cases are hushed up. Only the other day the Womens' Federation organised a demonstration. I had the opportunity to be present there. I saw mothers and sisters crying in that demonstration. They had brought photos of their daughters and sisters who have been murdered. There are cases of suicide. Do you think it is an easy thing for a newly married girl to commit suicide? They are goaded to commit suicide by the inlaws. Is there any case which has been seriously investigated? Two million cases of rape and other atrocities on women take place every year. If the society is claiming that we are a progressive State,, that we are a progressive society where, even today, in this 21st Century, there are atrocities, we are sliding back. This is no progress at all. If on one side of the society we find murders taking place, atrocities on women taking place and an atrocious attitude towards women continuing even today, it is for the Government to show their earnestness. It is for the Government to show that they will not relent till the malady is remedied. It is for the Government to show that they are serious about it.

What is your seriousness? I understand the Minister could not go there. It is not necessary. In all the cases of murders and other atrocities, the Ministers will not have to go. But what is your Government machinery? Where is the Government machinery? Why no action was taken? Why this woman had to be raped? We, the women MPs. sitting here, demand that the culprits must be brought to book. Is it not sheer injustice on the part of the society, *on* the part of the Government, that you dare take this attitude even now? When the time comes for vote catching, there are slogans, there are promises, there are demonstrations. But when it comes to day-to-day administration, you forget about your commitment, you forget that you are there to rule, you forget that you are there to administer. There is no excuse in saying that it is a tough law and order situation or that the police is in the hands of the State Government. Yet, I do not spare the State Government also. But, as a Minister in the Central Cabinet in charge of Home, is it not your duty to show how serious you are about it? How many times did you take it up, or, any Home Minister of the Government of India for that matter, when you met the Chief Ministers or when you met your police administrators and stressed on this point that you would not tolerate any • reports coming, any cases coming where women had to face this kind of atrocities? You have never done it. You cannot show me any record. If this is the callous attitude that the Government of India shows, do y°u think any State Government will do it? They think that while investigating, everything will boomerang, everything will recoil on them. Is this the way you will treat your mothers or your daughters. Think of yourself as head of the family: If a girl in your family gets raped, if a irV of your own family gets this kind of atrocious treatment, will you tolerate it? I will certainly not. So, you cannot tolerate this in your own house, in your own family, but you can tolerate it for others! You don't have any sleepless nights. I am not mentioning only Baeoat. I don't want to make any political capital out of it. Whether it is Mr. Charan Singh's constituency or whether it is the Opposition's constituency, I do not bother about it. It can take place anywhere. It is taking place everywhere. How many days are there in this country when there is no incident of rape, when there is no incidence

[Smt. Purabi Mukhopadhyay] of atrocitieg on women? And even then, you claim that we are progressing, that it is an egalitarian society, it is a socialist objective that we are trying to achieve, when more than half of your population has to face this every day!

I am speaking this not as a Member of the Opposition. I am speaking with all the anguish in my heart. What have you done for this country? It was Mahatma Gandhi who gave a call for the women to come out from their houses to participate in the liberation movement. They all came. Some of us have shone in the political field but there are millions of women who did not have this opportunity. And is this the justice you are doing them now. Please do not laugh because your laugh or your smile will only make my blood boil: I feel so strongly about it. And this is a case wrhere all the Opposition, the ruling party and members of the society, social workers, educationists, the press media, everybody, should combine, put their heads together to find a solution to this.

There are commission reports. They say,, change the IPC. *(Interruptions)* Well, amend it so that the instrument of law really becomes useful But what you should really amend is the attitude of the society towards women. What you have to do is to show your earnestness by giving ex-em nlarv purv'shment whenever you catch the culprit but not this kind of an attitude that you are showing even when a glaring case is there The police staff, whether it is the police constable or the Inspector-General of Police, are equally responsible for this. They are merrily siting there and they are threatening others and thev say, "If you come out with any evidence, we will see how you will live in this world." Is this the administration that you are running? That is why, with all the pain and arguish in our heart we. the women MPs., took this opportunity only as a Calling-Attention motion. We have to call the attention of this House towards this kind of things! Don't you feel the pain when your sisters outside are being insulted? So, please do whatever is possible by the Government to stop this kind of things. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A, G. KULKARNI): Mr. Minister, please.

SHRIMATI PURABI MUKHO-

ज्ञानी जैल सिंह : सम्मानयोग्य महिला सदस्य श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय ने जो जजबात प्रकट किए हैं मैं उनके साथ सहमत हूं। उन्होनें कहा कि मैं हंस रहा हूं । मैं हंस नहीं रहा । कुछ तो मेरे दांत ऊंचे हैं और कुछ मेरी आदत है।

जमाने के गम और मुसीबतें मुझे रुला नहीं सकती
मैं क्यों करूं मुझे आदत है मुस्कारने की ।

मैं माननीय सदस्या श्रीमती मुखोपाध्याय के जजबात से पूरी तरह सहमत हूं । उन्होनें शुरु में कहा कि न यह केन्द्रीय सरकार और न प्रान्तीय सरकार का दोष है। यह सब का दोष है? समाज का भी दोष है और इसको इन बुराइयों को खत्म करना चाहिए । मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय सदस्या ने कहा कि जब राज मिल जाता है तो लोग बातें भूल जाते हैं। यह भी बात सही है कि जब विरोध पक्ष में बैठ जाते हैं तो यह सब बातें याद आती हैं। इन्होंने 31 साल का जिक्र किया। 31 साल जब यह इधर बैठी रहा और हमारे नेता के रूप में रहीं तो उस वक्त आपने इतना जोश प्रकट नहीं किया जैसे कि आज . . .

PADHYAY: In future also I will raise it, if this kind of attitude continues. I don't care whether 1 sit *ia.* the Treasury Benches or in the Opposition or even if I am not a Member of this House. That is not the way to deal with this question.

ज्ञानी जैल सिंह : हो सकता है आपने इस तरफ बैठ कर भी कहा हो, मैं मान लेता हूं । मैं तो मानता हूं । यह कहना बड़ी आसान बात होती है कि गद्दी पर बैठ कर बात भूल जाते हैं । मैं यह कहता हूं कि भूलने की बात नहीं है मैं तो इसको टाप प्राइर्टी देता हूं । मैं समझता हूं कि यह हमारे समाज के माथे पर कलंक है । हमारी बहनों पर, वीकर सेक्शन पर, हरिजनों पर अत्याचार होते रहें और उसका हम कभी कभी इलाज करें और फिर खामोश हो जाएं, यह बात नहीं होनी चाहिए । आपने डावरी का भी जिक्र किया है । मैं पहले भी इसी हाऊस मे कह चुका हूं कि डावरी के संबंध में जो अब तक कानून बना है वह बहुत कमजोर है । उसके लिए होम डिपार्टमेंन्ट ने ला मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि इन बातों से हम उन लोगों को पकड़ नहीं सकते, इसको सख्त बना दिया जाए । इसके लिए भी जरूरी था कि प्रान्तीय सरकारों के साथ सलाह मशविरा किया जाए । इसके लिए भी लिखा है और मैं मानता हूं और यह मैं सत्कार योग्य पुरबी मुखोपाध्याय और तमाम मेंबर साहबान को कह देना चाहता हूं कि मैंने बहुत सख्ती से सबको सलाह दी है गर्वनर के रूल के वक्त भी और मुख्य मंत्री बनने के बाद जो लोग मिले हैं तो सब से मैंने यह प्रार्थना की और मैं महसूस करता हूं कि जो हजारों बेगुनाह लड़कियां शादी के बाद मौत के घाट उतारी जाती हैं उनमें सब झूठी हैं बात कि वह खुदकशी करती हैं । उनको या तो खुदकशी करने के लिए मजबूर किया जाता है और या फिर उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है । किसी सास के कपड़ों को आग क्यों नहीं लगती, किसी ननद के कपड़े को आग क्यों नहीं लग जाती वह सिर्फ ब्याहिता लड़कियों के ही आग लगती है । इसमें ठीक बात है कि डाक्टर लोग भी रियायत कर जाते हैं, पुलिस वाले लोग भी रियायत करते हैं । इसका हम ऐसा प्रबन्ध करना चाहते हैं कि किसी भी कारण से कोई, किसी लड़की का जब ऐसा वाक्या हो, तो उसकी ससुराल, उसका पति और उसके रिश्तेदार जो इसके जिम्मेदार हैं, वे सजा से बच न सकें । ऐसा करने के लिए वह विधान, आपके सामने बिल आ रहा है, उस पर आप राय दीजिए उसको हम देखेंगे ।

आपने फरमाया कि बागपत के मामले में—मैं अभी कह चुका हूं कि मैं तो अभी वहां गया नहीं हूं अभी मैं जा रहा हूं और जो कुछ मेरे नोटिस में बातें आयेंगी वह भी आपको बताऊंगा और इस बात के लिए मैंने वहां के मुख्य मंत्री को भी कहा है कि इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Vice-Chairman, Sir, may I take only one minute? I did not want to make any personal attack, you must have noticed, because, as I said, it is a problem concerning the whole society. Could I not have said that in the country in which the Prime Minister is a lady women are getting this treatment. But I did not say that. I should have done that. Then there would not have been any personal attack from that side.

ज्ञानी जैल सिंह : नहीं वह तो आपने नहीं कहा और न आपको किसी ने यह कहा .. *(Interruptions)*.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: You were trying to attack me by saying. "What did you do for 2'5 years?" Don't forget that you are the Home Minister of the country. Things are much more serious than what you take them to me.

ज्ञानी जैल सिंह : मैंने तो आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कि ...

(Interruptions)

श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय : नहीं आपने तो कहा ...

(*Interruptions*)

ज्ञानी जैल सिंह : वह आपकी मेहरबानी है, लोगों की मेहरबानी है, सबकी कृपा है ईश्वर का कृपा है कि मैं होम मिनिस्टर हूं लेकिन मैंने तो पुरबी मुखोपाध्याय को सिर्फ इतना ही कहा था कि वे हमारी नेता रही हैं जनरल सैक्रेटरी थी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। जिस जोश से आज बोली मुझे खुशी हुई है। उस वक्त भी जोश से बोलना चाहिए था ताकि 31 साल के बाद न करना पड़ता मैंने तो सिर्फ इतना कहा था।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): गृह मंत्री जी का इस समय सदन में रवैया देख कर मुझे आश्चर्य और दुख दोनों हुए हैं। यदि पुरबी मुखोपाध्याय की बात पर वे नही हंसते और उनको ताना न मारते कि आप सरकारी पक्ष में थीं, तब नहीं बोलीं तो मैं समझता कि वे इस विषय को बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं। लेकिन यह जितना गम्भीर विषय है, उन्होंने जिस प्रकार एक पार्टी जैसा सवाल बना कर श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय को उलाहना दे दिया, यह स्वयं इस बात का सबूत है कि सरकार और मंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय में गम्भीरता से कुछ नहीं कर रही है।

बागपत की घटना को श्रीमन्, आज कई दिन गुजर गये लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, तथा मुख्य मंत्री क्यों वहां नहीं गये ? ऐसे ही सरदार जी ने कहा कि आठ नौ दिन हो गये हैं, दस न सही, छह सात दिन हो गये हैं, वे स्वयं न जाते तो किसी बड़े अफसर को यहां से भेज सकते थे परन्तु किसी को नहीं भेजा।

मेरा सरकार पर आरोप है पुरबी मुखोपाध्याय बहिन ने कहा कि मैं किसी को दोषी नहीं मानती। मैं कम से कम हर सरकार को दोषी मानता हूं क्योंकि बागपत जैसी घटना हो जाए, इरविन अस्पताल के भीतर रेप जैसी घटना हो जाए, और उत्तर प्रदेश के या केन्द्र के गृह मंत्री का खून नहीं खौले तो मैं समझता हूं कि वे इस चीज को गम्भीरता से नहीं ले रहे। जिस दिन बागपत की घटना हुई थी इर्विन अस्पताल की जिस दिन घटना हुई थी, आवश्यकता थी कि उस दिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भिंडर जी से तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस निदेशक से पूछते कि घटना क्यों हुई। मैं सबूत दे सकता हूं, इरविन हास्पिटल में जिस दिन दुर्घटना हुई उसी दिन रिपोर्ट लिखी गई थी परन्तु पुलिस का जो बुलेटिन प्रसारित होता है क्या उस में इस घटना की रिपोर्ट थी इस बात को क्यों 24 घंटे छुपा कर रखा गया ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr, Mathur, ycu please put questions so that he can reply. I am only requesting you to get a clarification correctly. You put it in the form of a question.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I will make the statement. Then I will ask him to reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI); You put questions.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन इरविन हास्पिटल में यह घटना हुई जिस में एक महिला को रेप किया गया था, उस दिन क्या पुलिस के क्राइम बुलेटिन में वह शामिल किया गया ? वह सिपाही गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन क्राइम बुलेटिन में अगले दिन तक नही दिया। अगले दिन उल्लेख भी किया तो एक लाइन में किया गया। मेरे पास बीसियों उदाहरण हैं कि दिल्ली की पुलिस ने भिंडर साहब के आने के बाद क्राइम

बुलेटिन में कैस रिपोर्ट नहीं हुए । चांदनी चौक में डैकाइटी हुई, सेफ काटा गया 24 घंटे चोर अंदर रहे और जिस दिन पुलिस में रिपोर्ट गई एफ० आई० आर० लिखा गया उसके एक हफ्ते बाद भी बुलेटिन में उसका समाचार नहीं गया I chall nge it बागपत की दुर्घटना बड़ी शर्मनाक है । हिन्दुस्तान टाइम्स में एक उल्टा बयान आ गया पुलिस वालों का । श्रीमन् आप कल तशरीफ ले जा रहे हैं । मैं आप से निवेदन करता हूं कि पुलिस वालों ने जो बयान हिन्दुस्तान टाइम्स में छपवाया है कि गोली से मारे गये आदमी डैकाइट थे, और जनता के लोग महिला के कपड़े उतार रहे थे, पुलिस ने जा कर बचाया—झूठ की इतनी भी इन्तहा हो सकती है, इस की कल्पना कोई नहीं कर सकता । श्रीमन्, मैं आपके जरिए गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें और वहां से आकर बताएं कि थाने के सब अफसरों का ट्रान्सफर कर दिया गया है तब यह साजिश खत्म हो सकती है वरना नहीं हो सकती है और यह हम लोगों ने खुद किया है । हमारी सरकार ने किया है। पुलिस के अंदर भी यूनियन एक्टिविटी चालू है, जब पुलिस का कोई आदमी जुर्म करता है तो थानेदार से लेकर ऊपर तक सभी मिल जाते हैं। बागपत में यही हो रहा है । थानेदार ने क्यों यह कार्यवाही की और बयान दिया कि वह लोग डैकाइट थे । मान लीजिए कि वे डाकू थे—एक परसेन्ट भी सच नहीं है । मान लीजिए डाकू थे—क्या डकैतों के साथ महिला हो तो क्या उसको रेप किया जाना चाहिए ? नहीं किया जाना चाहिए । मैं सरदार जी से मांग करता हूं कि दो तीन जो एलीगेशन्स मैंने लगाए हैं उन का जवाब भिंडर साहब और दूसरे अफसरों से पूछें ।

एक बात और कहना चाहता हूं । ऐसी गलतियां क्यों नहीं होंगी? भिंडर साहब के आने के बाद पता करें कि पुलिस में कितनी भर्ती हुई है और किसने की हैं ? मेरी जानकारी हैं, भिंडर साहब के आने के बाद सैकड़ों ऐसे लोग भर्ती किए गए हैं जो भिंडर साहब की पत्नी की कास्टीट्युएंसी के हैं अन्य कहीं के नहीं हैं । जो लोग पहले पहले भरती होने थे जिसके लिए इम्तिहान हुआ, परीक्षा हुई, वे रद्द कर दिये गये और कई सौ उनकी कास्टीटयूएन्सी के लोग पंजाब के इलाके से दिल्ली पुलिस में भर्ती किए गए । अगर यही रवैया पुलिस विभाग में चलता रहा तो अत्याचार बढ़ते ही रहेंगे ।. अच्छा होता कि श्रीमती पुरबी मुखर्जी के कहने का मंत्रीजी मखौल नहीं उड़ाते । दुख की बात है कि कालिंग अटेंशन में जिन्होंने नाम दिया है महिलाएं हमारे साथ खड़े होने के लिए नहीं सदन में उपस्थित नहीं हैं उन को हमारे साथ रहना चाहिए ।

ज्ञानी जैल सिंह : माथुर साहब मेरे ध्यान में दो तीन बातें लाए हैं । एक तो पुलिस बुलेटिन में दो तीन वाकयात हुए और उनका जिक्र नहीं आया और दूसरे . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बीसियों वाकयात हैं सरदार जी। मैंने तो अभी दो तीन के बारे में कहा है। आप कहें तो लिस्ट बना कर दे दूं और एफ० आई० आर० के नम्बर भी पेश कर दूं।

ज्ञानी जैल सिंह : हम उस का पता लगायेंगे हो सकता है । मैं जानकारी करूंगा और पता मिलाऊंगा यह बात ठीक है या नहीं है ।

उन्होंने बागपत के मामले में भी जिक्र किया है चूंकि मैं वहां जा रहा हूं इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता । जहां तक सवाल है कि वह डाकू हैं या क्या है, वह अगर डाकुओं का ही सवाल होता तो मैं वहां जाने का ख्याल बिलकुल नहीं करता । मैं तो सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत के साथ बदसलूक हुआ

ज्ञानी जैल सिंह

है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, वह क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है, इन बातों में नहीं सरकार सुस्ती न इस्तेमाल करे और वहां की सरकार को हम हिदायत दे सकें और अपने एक फर्ज को भी पूरा करें क्योंकि ऐसी घटनायें दुखदायी हैं और भले ही—मैं कहता हूं डाकू की पत्नी की बात नहीं है, अगर खुद भी औरत डाकू हो तब भी—उसको गोली से तो मारा जा सकता है लेकिन ऐसा व्यवहार जो स्त्री के साथ हुआ बताया गया है वह कभी नहीं होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूं और उसके बाद हाउस को जो चीजें मेरी नोटिस में आयेंगी बतलाऊंगा।

पुलिस में भरती की बात आप ने कही है। मैं सोचता हूं कि पुलिस में भरती के लिए कुछ शरायतें हैं—सिपाही के लिए, हेड कांस्टेबिल के लिए, ए एस आई के लिए कि वह क्या क्वालीफिकेशन का हो, कैसा हो। उन सब चीजों को देख कर भरती की जाती है अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसकी भी हम जानकारी कर लेंगे।

SHRIMATI USHA MALHOTRA (Himachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, just a moment.

THE VIC1-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): On what basis you are drawing my attention? Is it on a point o* order or what?

SHRIMATI USHA MALHOTRA: On a point of order, please. The hon. Member just now mentioned that the women Members in the Treasury benches have not raised their voices.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No. I said. I am sorry that my sisters are not present all of them who have given calling attention notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): There is no point of order. He has not mentioned that also. Yes, Mr. Ladli Mohan Nigam.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a factually incorrect allegation. Actually the female Members in the ruling party are more active than any of the hon. Members there. On this point they have been far more active. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Salve, I think your hon. lady Member is taking part. She will bring out all these things.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: We were the ones who started it. Actuality we were the persons who felt concerned about it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): That is quite all right.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: It is after we moved it that it came from the other side. It is we who moved it. We are concerned . . . *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Yes, Mr. Nigam.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Sir, Mr Salve was side-tracking the issue-. The h >n. Member here did not make any such allegation against the women Members of the ruling party.

DR. RAFIQ ZAKARIA (Maharashtra) : He did cast a reflection.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA; No, there was no, allegation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Dr. Zakaria, please sit down. Don't interrupt. Yes, Mr. Ladli Mohan Nigam. We have got very little time.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: No allegation was made.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): We have very little time. Mr. Nigam. Ask questions only.

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा सीमा में रहा हूं । मैं अपनी मर्यादायें जानता हूं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले मैं घर मंत्री का ध्यान 29 तारीख के टाइम्स ग्राफ इंडिया की तरफ दिलाना चाहूंगा । मैं समझता हूं कि वे ग्रखबार जरूर पढ़ते होंगे उससे शर्मनाक बात हिन्दुस्तान में आज तक छपी नहीं होगी । ग्रमृतसर की डेट-लाइन से वह खबर है, 28 की डेट लाइन है उसमें यह कहा गया है कि बीस लाख ग्रौरतों के साथ हर साल हिन्दुस्तान में बलात्कार होता है । यह भी एक शर्मनाक चीज है कि ये ग्रांकड़े किसी हिन्दुस्तानी ने नहीं बल्कि इन बातों की जानकारी देश को एक विदेशी से मिली है, जिन का नाम मिस्टर पीटर लेटन है । मेरी स्टोप्स लन्दन की बहुत बड़ी समाज सेविका हो चुकी है । उन के नाम पर एक संगठन बना हुग्रा है । हिन्दुस्तान में भी उस संगठन की बुनियाद रखी गयी है मार्च सन् 1979 में । ग्रमृतसर में इसी साल उसकी बुनियाद रखी गयी है । जब ग्रखबार वालों ने पूछा कि ग्रापके इन ग्रांकड़ों का ग्राधार क्या है तो उन्होंने कहा कि पुलिस की स्टेस्टिक्स इसका ग्राधार है ।

इससे भी ज्यादा शर्मनाक एक चीज है—बागपत की घटना के बारे में मैं नहीं कह रहा—कि गलत तरीके से, गलत लोगों के हाथ हिन्दुस्तान में—शायद ग्रापको वाजेह न हो घर मंत्री जी—20 लाख गर्भपात कराए जाते हैं कौन कराता है ? ग्रौरत क्यों मजबूर होती है ग्रपने लख्ते जिगर को गिराने के लिए इसको कभी किसी ने सोचा । इस के पीछे मैं समझता हूं कि कुछ कारण हैं । हिन्दुस्तान में जिस तरह से ग्रौरत के साथ बर्ताव हो रहा है ग्रौर खास कर हमारे ग्रापके समाज में, हमारी ग्रापकी सोसाइटी में, वह उसके साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है उसे देख कर मुझे हैरत होती है । हमारे सूचना मंत्री भी यहां पर नहीं हैं, नहीं तो मैं उनका ध्यान ग्राकर्षित कराता । एक बीबी के रहते हुए दूसरी बीबी लाना, दूसरी शादी करना क्या जायज है ? लेकिन वह बड़े ग्रादमी हैं ग्रौर इसलिए कानून का उल्लंघन कर सकते हैं । उसका रेडियो में खुले ग्राम प्रचार किया गया । वह कर सकते हैं इसलिए कि सक्षम व्यक्ति हैं । कानून तो गरीबों के लिए है पैसे वालों के लिए नहीं है । यह तो मैंने एक बात की तरफ ग्रापका ध्यान दिलाया । ग्राज की खबर है इंडियन एक्सप्रेस में । उसके पेज पांच पर एक खबर छपी है । उत्तर प्रदेश के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल 5 ग्रादमियों का जिसमें विरोधी दल के नेता भी हैं वह वहां के चीफ मिनिस्टर को मिला बागपत से लौटने के बाद ग्रौर उसने ग्रपने ज्ञापन में ही नहीं बल्कि जो उन्होंने ग्रावेदन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि :

I quote:

In o joint statement they said it is alarming that nearly 50 cases of rape by policemen had been reported during the Governor's rule and after the Assembly elections.

ग्रब ग्राप जरा ग्रन्दाजा लगाइये कि ग्रौर खुद ग्राप ग्रपने गिरहबान में मुंह डाल कर देखिए कि कौन क्या कर रहा है । मैं जानता हूं कि वह क्यों होता है । जिस पुलिस व्यवस्था को हम चला रहे हैं उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है पुलिस की उसमें यह सब होना स्वाभाविक है । जो पुलिस के सर्वोच्च ग्रधिकारी हैं, मैं जहां से ग्राता हूं वहां ग्राई जी पुलिस का सब से बड़ा ग्रधिकारी है, शर्म से माथा झुक जाता है जब वह सर्कुलर निकालता है, ग्रपने प्रदेश के सभी थानेदारों के नाम ग्रौर थानेदारों को हिदायत देता है कि जब तक ग्रसेम्बली ग्रौर विधान सभायें ग्रौर संसद चलती रहे उस वक्त तक थानों में रेप नहीं होने चाहिएं । बाकी दिनों में होते रहें तो जायज हैं ग्रौर मुझे ग्रफसोस है यह बात कहते हुए कि वहां गवर्नर रूल में भी प्रशासन में

[श्री लाडली मोहन निगम]

सुधार क्यों नहीं हुआ उसकी वजह यही है कि जब ऐसे लोग हो गवर्नर के सलाहकार बनाए जाते हैं तो सुधार हो ही नहीं सकता। वहां किस की सरकार है अब यह तो मैं नहीं कह सकता। आप खुद जानते हैं, अच्छी तरह से कि वहां कौन गद्दी पर बैठा है, लेकिन यह ताजी घटनायें हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जो इसके साथ ही जुड़ी हुई है और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब हिन्दुस्तान में कौमी फसादात हो रहे थे और पिछली बार कब हुए इस बात का अन्दाजा आप लोगों को होगा क्योंकि आप भी उसी इलाके के हैं और मैं उन दिनों एक बुजुर्ग के साये में था जो राष्ट्रपिता गांधी थे। उन्होंने मुझ से कहा, कि जाकर दंगे वाले इलाकों में काम करो। मैं उन दिनों उन गाड़ियों में काम करता था जो जरकी लोगों से भरी हुई आती थीं और जिस तरह की भीड़ गाड़ियों में आज कल रहती है ऊपर से नीचे तक उसी तरह की भीड़ उन दिनों भी रहती थी, कुछ आदमियों की आदत होती है कि औरतों के डिब्बों से उन्हें कोई मतलब नहीं। पुरुष जहां चाहे जबरदस्ती घुस जाय। पहले से यही व्यवस्था चली आ रही है और हम देखते रहे हैं कि आदमी सामान जबरदस्ती ठूंस देते हैं औरतों पर, जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, भले ही औरत दब जाय लेकिन अपनी जवांमर्दी दिखला रहे हैं, स्टेशन पर भीड़ लगा रहे हैं, औरतों का सब दबा रहे हैं, लेकिन उस रोज मैंने एक बात सीखी जो मुझे कोई किताब आज तक नहीं सिखा सकी। एक बुढ़िया दरवाजे के एक किनारे बैठी हुई थी। जब लोगों ने बहुत जबरदस्ती की और समान ठूंसते गए और उस औरत को दबाते गए तो उसने अपना चेहरा निकाल कर कहा कि "देखूं यह कौन है इसमें जवां, है तो औरत का ही जना।" इस बात को कभी नहीं भूलना कि जिनके साथ बलात्कार होता है तुम उनके पेट से ही निकले हो। अगर तुम उस पेट को, उन शर्मगाहों को, नहीं बचा सकते तो अपने मुल्क को भी कभी नहीं बचा सकते। इसको कभी मत भूलना। यह दूरदेशी की बात नहीं। जो पुलिस में आज हैदराबादी गोली के नाम से चलता है वह क्या है। वह है शर्मगाहों में डंडे डालना। इसको आप सब जानते होंगे। क्या हिंदुस्तान में यह तरीके बरते जायेंगे? एक तरफ धरती का इंसान चन्द्रमा में जाए और दूसरी तरफ उसी की कोख से निकला बेटा ऐसा अपराध कर रहा है। टाइम्स आफ इंडिया में जो बात निकली है कि उत्तर प्रदेश के एम० एल० ए० की शिकायत है और आपने खुद कहा था इसी सदन में कि महिला सदस्यों के साथ आप वहां बागपत जायेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार वचनभंगी न बने। ऐसा इरादा तो न करो बल्कि ऐलान करके पूरा करो ताकि आइंदा कोई घटनायें न हों, खासकर रेप की बलात्कार की होंगी तो पुलिस अफसरों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Nigam, you have taken more time. Yes, Mr. Minister.

ज्ञानी जैल सिंह : श्रीमन्, आनरेबुल मैम्बर श्री निगम ने जो यह टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र किया, यह मैंने भी आज सुबह अखबारों में देखा और मैंने उसी वक्त मुतअल्लिक होम डिपार्टमेंट के अफसरान से कहा कि यह बात बहुत शर्मनाक है और इसके लिए असलियत बताओ और जो फिगर मुझे दिये गये उनका और इस रिपोर्ट का बड़ा भारी अंतर है। यह मैं मान लेता हूं कि सरकारी फिगर में रेप जैसे केसेज में हो सकता है कि रेकार्ड में शायद न आए हों क्योंकि हमारे समाज में जिस औरत के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके माता-पिता, भाई-बहन उसके खानदान

के लोग उसको छिपाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज की नजरों में वह गिर न जाए और कानून भी ऐसा कमजोर है कि कलप्रिट को सजा नहीं मिलती और शर्मिन्दगी उठानी पड़ती है। इसलिए लोग दबा भी लेते हैं। हो सकता है जो सरकारी फिगर है उससे ज्यादा हों, लेकिन मैं यह बिना खौफे तर्दीद कह सकता हूं कि वह रिपोर्ट बिलकुल गलत है। यह कहना हिन्दुस्तान की बदनामी करने का बायस है और 1975, 1976, 1977 और 1978 के चार सालों की फिगर्स जो हैं उनका टोटल नम्बर आफ रेप्स के जो केसेज हैं वह ये हैं। 1975 में 3325, 1976 में 3611, 1977 में 3821 और 1978 में 3781 ये हैं जो रेकार्ड में आए। अगर हम इनको दुगुना भी कर दें तब भी ये जो टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट है यह सरासर मुबालगा है। . . .

(Interruptions)

श्री लाडली मोहन निगम : उस पर मुकदमा चलाइए। . . . .

(Interruptions)

ज्ञानी जैल सिंह : मैं अपने मजबूत हाथों से सारे रेकार्ड देखने के बाद फिर मुकदमे की बात करूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Minister, the Membersi are agitated on this. So, you should take proper steps to contradict the report and take some action against the writer who has given a wrong report about India.

GIANI ZAIL SINGH: That is all right. आनरेबुल मैम्बर ने यह कहा कि वचन भंग किया। वचन भंग करना अच्छा नहीं है किसी के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए तो बहुत बुरी बात है। मैंने वचन भंग तो किया नहीं, मैंने आपसे वचन किया कि मैं जाऊंगा। डेट मैंने कोई मुकर्रर नहीं की थी। . . .

(Interruptions)

श्री लाडली मोहन निगम : ने [illegible] कि महिला सदस्यां [illegible] साथ जायेंगे।

श्री रामेश्वर सिंह ([illegible]) : श्रीमन्, मैं . . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Rameshwar Singh, please do not take any time of the House now. I will call you afterwards. You just take your seat. Yes, Mr. Minister, you complete the reply first.

ज्ञानी जैल सिंह : मेरी बात पूरी हो जाने दो। उसके बाद कोई कमी रह जाए तो फिर दुबारा कर लेना। वायस-चेयरमैन साहब, मैंने वचन भंग नहीं किया मैंने इस हाउस में कहा था कि मैं खुद जाऊंगा और महिला मैम्बरों को भी साथ ले जाऊंगा सब की सब महिला मैम्बर जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं, खुशी से चलें लेकिन मैंने वैसे तीन, चार-पांच महिला मैम्बरों का इंतजाम किया है और मेल मैम्बर भी साथ चलें तो खुशी होगी। मेरा कल तीन बजे यहां से जाने का प्रोग्राम है। मैं जा रहा हूं।

1 P.M.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I would like to ask only one question. It was just stated that it is a wrong guess. Where is the material to disprove it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): He has stated that he is quoting from the Report of the Home Ministry.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY; But some cases are not registered. If the police do not allow cases to be registered, how do you dispute it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): How do you expect the Home Minister to go beyond that?

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR

ज्ञानी जैल सिंह : मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह अखबारी रिपोर्ट है और मैंने यह भी कह दिया था कि सरकारी रिपोर्ट रेप्स के मामले में पूरी नहीं हो सकती। मुझे भी शक है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इज्जत के मारे, औरतें भी अपनी इज्जत के मारे चुप होकर बैठ जाती हैं। औरतों की इज्जत बरबाद न हो जाए इसलिए मामले को दबा देते हैं। लेकिन जो दो मिलियन की बात है यह बिलकुल गलत है, यह दुरुस्त नहीं है और इसके लिए मैं पूरी जांच करने के बाद कार्रवाई करूंगा।

श्री लाडली मोहन निगम : गर्भपात के बारे में मैंने पूछा था।

ज्ञानी जैल सिंह : अबोर्शन का मामला भी.....

श्री लाडली मोहन निगम : मैंने पूछा है कि यह गैरकानूनी है या नहीं।

ज्ञानी जैल सिंह: गैर कानूनी हो सकता है।

ADIVAREKAR (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would only like to bring to the notice that the Ma-thura case has just opened the window for the public to see what is happening with the Police cadre and the police administration. The gradual increase in the atrocities towards the weaker and vulnerable section and specially towards the helpless women has brought out one thing clearly that the predominant image of the Police department with this section of the population is that the police is not for their security; their image as their custodian has gone down considerably. ft seems that th« weaker population feels that the police is no more their custodian. But for the apathy of the police towards the cases that come to the police station and the police notice. I think the increased aggressiveness of the anti-social forces and even amongst the police ranks themselves would not have reached the high pitch as it has reached today. Even the high-ups in the police heir-archy only treat these atrocities indulged in by the police by merely a transfer of a police officer from one police station to another. No stringent action has ever been taken against those people for indulging in such activities. When the police behaves in such atrocious ways when the women are in the police custody, why stringent actions are not taken: Why are not the policemen indulging in such things put behind the bars? I would like to know from the Home Minister whether he is having any programme to weed out the black sheep in the force to generally improve the police interface with the public through proper counselling and education of the officers and men as it has been told to us often? Then, I would like to ask another question. It is said by the Police authorities and even the hon. Minister mentioned about it in his opening statement that the incidents of rape in police stations are created and over-publicized. I think even a person of the calibre of Shri Rustomji. who is a member of the Police Commission, has also given this type of statement in one of the interviews which has been published in a news magazine. I would like to know from the hon. Minister how many such cases have been over- publicised. It is only a tip of the iceberg, very few cases, that have come to the notice of the women organisations or the newspapers who take it up. Sir, I will need two minutes more. I would like to ask some very pertinent questions from the hon. Minister. I do agree that the media has to play a role in giving social education to the public. I also agree that the media has a role to play in order to bring to ih© notic* *of* the Government

such cases. We should not say that they have over-publicised. They are also playing a role in giving publicity to these things and to draw the attention of the Government to these incidents. Will the Minister consider the memorandum whieh has been made by the women organisations as well as by the women Members of Parliament regarding putting a ban on keeping women in the police custody at night and also regarding recruiting more women police force? Will the Minister tell us how many more women police force have been recruited since the last one year after all these things had been brought to the notice of the Government and also bow many more women Magistrates and women Judges have been appointed to deal with these cases? Every time we are told that more women Magistrates and Judges will be appointed. I would like to know whether he is considering to make suitable changes in the Police Act of 1'861 which is obsolete. Is he going to, ask the State Governments to amend the police manual and to make it up-to-date. We were told during the Question Hour that the Government is thinking of bringing forward a legislation to amend the Indian Penal Code, Criminal Procedure Code and the Evidence Act so as to make the law more appropriate. I would like to know when they are bringing forward this legislation. Are they going to do it in this Budget Session or will they need the consent of the State Governments? Can't they cut the red-tapism and get this legislation passed during the Budget Session itself especially because this issue has been agitating the minds of the women organisations as well as the public at large? I would like to have specific answers to these questions.

ज्ञानी जैल सिंह : ग्रानरेबल महिला मेम्बर ने यह मांग की है और यह कहा है कि ब्लैक शीप जो पुलिस में हैं और खासतौर पर कानून की रक्षा करने वाले लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो उन्हें सख्त सजा दिलाने के लिए और उनकी छांटी करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि यह बात हमारे विचाराधीन है कि एसे अपराधियों को सख्त सजा दी जाए और वे किसी तरह से निकल न पायें। हम उनकी हम उनकी छांटी करने की बात भी सोच रहे हैं। पुलिस वालों की अच्छी तरह ट्रेनिंग दिलाने के लिए और उनका व्यवहार जो जनता के साथ दोस्ताना होना चाहिए उसके लिए एक नया तरीका बनाने के लिए विचार किया जा रहा है ताकि शरीफ लोगों, कमजोर लोगों, स्त्रियों और बच्चों का पुलिसमैन को देख कर होसला बढ़े और बदमाश डर कर भाग जायें। ऐसी भावना हम पैदा करना चाहते हैं।

ग्रानरेबल मेम्बर ने यह कहा कि मि० रुस्तमजी ने यह स्टेटमेंट दिया कि अखबारों का जो मिडियम है वह खबर देने का है और वे लोगों की खिदमत करते हैं। हम अखबारों की खिदमत का अहसास करते हैं। हम इस बात का सम्मान और सत्कार करते हैं कि अखबार सरकार की बात लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात मैं जरूर चाहता हूं कि जब ऐसे कैसज हो जाते हैं तो उसके लिए अखबार में इतना आना काफी है कि वहां पर एक ऐसी दुर्घटना हुई है, बुरी बात हुई है। मगर यह जो अखबारों का ख्याल है कि उसका सारे का सारा खानदान लिखा जाय कि कहां वह रहते हैं, कहां वह थे और उनके माता-पिता का फोटो भी अखबार में दिया जाए इससे उनकी इज्जत थोड़े बढ़ती है। उनकी इज्जत बचाई जाय और कलप्रिट को सख्त से सख्त सजा दी जाए इसके लिए मैं चाहूंगा कि प्रेस जो है वह हमारी सहायता करे ताकि सच्चे दिल से वह उनकी खिदमत कर सके।

माननीया सदस्या ने कहा कि लेडी मजिस्ट्रेट और पुलिस मे औरतों की भर्ती कितनी हुई है। यह तो मैं गिनती नहीं बता

[ज्ञानी जैल सिंह]

सकूंगा। अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन यह हमने कर रखा है कि किसी औरत को रात के टाइम पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाना चाहिए और जब उसको गिरफ्तार करना है तो मेल मेम्बर उसको गिरफ्तार न करे, लेडी पुलिस जो है वही उसको गिरफ्तार करे। इस तरह की हिदायतें दे रखी हैं लेकिन कम्प्रीहेंसिव हिदायतें और भी ज्यादा करने के लिए मेम्बर साहेबान के सामने जब अमेंडमेंट बिल आएगा, उस वक्त वे अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि लॉ कमीशन ने जो 84वीं रिपोर्ट दी है वह टेबल पर रखी गई है, मेम्बरों के ध्यान में आई ही होगी। उस पर भी वे अपने विचार दे सकते हैं ताकि ध्यान में रहे कि किस-किस चीज में हमें क्या-क्या करना है।

उन्होंने यह भी पूछा कि पुलिस ऐक्ट और पुलिस मैनुअल में आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है, हम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल के अमेंडमेंट के सिलसिले में आप कोई बहाना तो नहीं बना लेंगे कि अभी प्रान्तीय सरकारों की राय नहीं आई इसलिए इस सेशन में नहीं रखा। यह बहाना नहीं होगा। हमने प्रान्तीय सरकारों को एक लिमिटेड टाइम दिया है और कहा है कि इसके पहले-पहले तक आपकी राय आ जाय तो ठीक है नहीं तो हम समझेंगे कि आपको इससे इत्तफाक है। दूसरी बार उनसे राय मांगने की कोशिश नहीं करेंगे मैं यह भी हाउस को बता देना चाहता हूं। इसमें कोई कमी न रह जाय इसके लिए मेरा विचार है कि वहां के जो सेक्रेटरी हैं और वहां के जो मुतल्लिक आफिसर हैं उनको बुलाकर उनकी राय पूछ लेंगे। लेकिन मेरा यह पुख्ता इरादा है कि पार्लियामेंट का बजट सेशन खत्म होने से पहले यह जो हम इस ऐक्ट में तरमीम करना चाहते हैं वह कर लेंगे।

SHRIMATI KANAK MUKHEJEE (West Bengal): Sir, while supporting fully what my colleague, Mrs. Purabi Mukhopadhyay, the initiator of the -Calling Attention has stated, I want to say that these incidents of atrocities on women—beating harassing,, killing, raping and what not—have become common news in everyday's newspapers. How many incidents should I quote? There is no use of adding incidents after incidents. In today's 'Statesman', it is said that a police officer was suspended on rape charges. About the incident quoted in the 'Times of India' of yesterday, much discussion haa already taken place. Sir, here is a revealing pamphlet with me, brought out by the women leaders in Delhi giving hundreds of incidents that happened recently in Biha^ Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and so on and so forth. And here is another pamphlet on the 'rape and the rape laws. This is a pamphlet by the lawyers of Bombay. And, Sir, here is the memorandum of the Forum Against Rape, signed by the ex-MP. Smt, Ahilya Rangnekar, and other women Members of Parliament. And, here is a report on the Mathura case. Sir there is no use of adding incident after incident, even after event. Sir, in last March, this question was discussed in Lok Sabha and many women Members and male Members took part in it. They gave revealing facts and figures. But what has the Government done .about it? Is it only for a discussion or does it take some steps? I do not see any improvement in the position even after the serious discussion which took place in the Lok Sabha in March last. Sir, the situation is very grave. It is not an isolated individual incident at Bhagpat, Narainpur or Belehhi. This has become the common phenomena. So, the entire nation and the entire Government should shake up and serious punishments should be given for this heinous crime. (Time bell *rings.)*

Sir, I will take one or two minutes more. What has the administration

done for giving the severest punishment to the culprits for committing this gravest of the crimes? This is the condition of women today, as many of my hon. colleagues have stated, after 33 years of independence. Not only that, Sir. In our holy Constitution we have made a provision for equal rights between man and woman. But in actual practice it is nowhere to be seen. In 1975 we observed the International Year of the Women with much pomp and we have had commissions and committees inquiring into the Status of Wormen. But, Sir, the position has remained as bad as it was. The actual position of women in society has not at all changed. Nothing could change the basic reality that there is decline in moral and intellectual standards of the country under the present regime and there is increasing poverty and helplessness of men and women masses. The human values have been going down and down, what to speak of dignity and honour of women?

Sir, I want to draw your kind attention to the fact that insult to one woman means insult to the entire womanhood of the nation; not only that, but insult to the entire nation itself, irrespective of the class and political affiliation of the people. (Time bell *rings.)* Sir, it is not enough that the severest punishment is given to the culprits. We must find out the causes which lie behind this social evil and root them out. This is a deeprooted perversion of one section of population of our great country-Is the Government doing anything to root out this evil? *(Time bell rings.)*

Sir, I want to point e.ut that there cannot be any real equality between man and woman and that the real dignity of womanhood cannot be restored so long as our society is caste-ridden, so long as there is class exploitation in the society and so long as we have exploited downtrodden masses in our nation. So long as there is no real Socialism established in the Society the dignity of womanhood and their equal status with men cannot be established. *(Time bell rings.)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): That is all right.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Sir, may I ask whether, even within the limited framework of our present society within the framework of our Government with all its limitations, can we not be civilised in the minimum sense of the term? Can we not arouse the conscience of the nation and the Government and startle it to the need of the situation. Will the Government take up this matter seriously and see that we can be civilised in the minimum sense of the term even within the given limitations of our social system and with all the limitations that the Government has?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI). Can you reply in English, Mr. Minister, so that she can follow?

GIANI ZAIL SINGH; No. I cannot speak correctly in English.

श्रीमती कनक मुखर्जी : आप हिंदी में बोल सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): All right, she understands Hindi.

ज्ञानी जैल सिंह : माननीया सदस्या भी हिन्दी बहुत अच्छी बोलती हैं। फिर हमारे यहां पर अनुवाद सुनने का सिस्टम भी है। माननीया महिला सदस्य ने कहा कि उनके पास स्टेट्समैन अखबार की खबरें हैं, मेमोरेंडम हैं, पेम्फ्लेट हैं। मुझे खुशी है कि यह सारी चीजें उनके पास पहुंची क्योंकि वह इस काज के लिए लड़ती हैं और इसमें सुधार करना चाहती हैं। वे हमारी मदद करें। मेमोरेंडम और खबरें वे मेरे पास भेजें ताकि हम उसका फायदा उठा सकें। यह कहना कि चर्चा करके रह जाते हैं कुछ करते नहीं।

[ज्ञान जैल सिंह]

यह उनका सन्देह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि चर्चा होने का फायदा हुआ। मार्च में बात चली। इसीलिए सारी बातों को देख कर यह जितने एक्ट्स हैं इस संबंध में उनमें अमेंडमेंट लाने के लिए कोशिश की गई है और वे आपके सामने आयेंगे इसके अलावा एक मीटिंग मुख्य मंत्रियों की, मुख्य सचिवों की और आई० जी०स० की हुई थी। उसमें भी इस बात की चर्चा हुई। तब भी मैं इस बात पर सन्तुष्ट नहीं हूं और यह जो बुराइयां हो रही हैं, वह हमारे देश, समाज के माथे के ऊपर कलंक हैं, इसको हमने दूर करना है।

मैं महिला मम्बर की इस बात से सहमत हूं कि इसको राजनीति से ऊपर रखा जाए। मेरा मतलब यह है कि उनको यह भी अमैन्ड करना चाहिए कि पार्टी पालिटिक्स से इसको ऊपर रखा जाए। राजनीति से तो ऊपर रखा जा ही नहीं सकता। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तौर पर हम अपने देश के लोगों को जगाएं, उनकी मितवर्तन लें, सरकार इसमें सुस्ती न करे, इन सारी बातों को मिला कर हम इसमें भरपूर यत्न करना चाहते हैं और एक ऐसी मूवमेंट पैदा करना चाहते हैं जिससे ऐसी खराबियां करने वाले लोग शर्मिंदा हो जायें और वे पब्लिक में मुंह न दिखा सकें, वे पब्लिक में न चल सकें, ऐसा वातावरण पैदा करने की हम कोशिश करेंगे।

महिला मैम्बर का यह भ्रम गलत है कि वर्तमान शासन में यह खराबियां हुई हैं। खराबियां तो पहले भी थीं और गुलाम हिन्दुस्तान में भी थीं, लेकिन रात के अन्धेरे में दिखाई नहीं देती थीं। जब आजादी का सूरज उदय हुआ है, उसके बाद यह खराबियां दिखाई देने लगी हैं और दिखाई देने लगी हैं तो खत्म भी की जा सकती हैं। अगर हम इस पर सोचते ही नहीं, विचार ही ना करते तब यह खराबियां दूर नहीं हो सकती थीं।

मैं मैम्बर साहबान के सैंटिमेंसट् के साथ सैंट-परसैंट सहमत हूं कि इन खराबियों को दूर करने के लिए भरपूर यत्न करना चाहिए और हम करेंगे। हमें खुशी है कि सब ने यही बात कही है कि यह सामाजिक बुराई है और इसको खत्म करना चाहिए।

आपने यह कहा कि पुरुषों को महिलाओं के साथ असमानता नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो मैं समझता हूं कि असमानता कानून के मुताबिक तो है नहीं, लेकिन बर्ताव जो है हमारे समाज का, उसमें यह बरोबरता नहीं है, असमानता मौजूद है। इसके लिए मैं लेडी मैम्बर साहेबान से खास तौर पर कहूंगा कि दुनियां में कोई भी किसी को आनर और सत्कार बख्शीश से नहीं देता, हिम्मत से ली जाती है और उनको भी आवाज बुलन्द करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। जहां जहां पर लोग स्त्रियों के साथ अन्याय करते हैं, धोखा और फरेब करते हैं, वहां पर औरतों की आवाज बुलन्द होनी चाहिए और उसके लिए मैं उनके साथ हूं।

श्री लाडली मोहन निगम : कुछ हल तो निकालिए ...

(Interruptions)

ज्ञानी जैल सिंह : हां निकालेंगे।

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA (Qujarat): In a country -where people are known to have laid down their lives in order to protect the honour of the women, one is deeply distressed to find that the women are so much molested now-a-days. Our heads hang down in shame that such things are happening in this country. And it is true that I do not find fault with this present Government or with any particular political party. This is the comulative effect of what we have been doing since freedom and how we have been behaving in many spheres. Now, what is to be done? In my humble opinion, the first thing

that must be done is to forge sanctions. Not only legal sanctions, moral sanctions are getting weak day by day; social sanctions are getting weak day by day, and about legal sanctions, nobody is afraid of. So all these sanctions which keep a society in order, which control miscreants and those who do not behave well, have become loose in this country. Do not be under any complacency. We are heading towards something about which all of us should feel worried. Moral and social sanctions are getting weak, as I said and legal sanctions as the last resort, are also getting weak. What is to be done? He is right when he said that all of us have to put our heads together and find out what the solution would be. I am putting two pertinent questions. Firstly, Billa and Ranga, when they commit murders, they are committing rapes also. When a man becomes anti-social, he does not confine his activities to one sphere of anti-social activity only. But he robs people. He murders people and he also commits rape. This is because, as I said, all these social sanctions have become loose. Now, what is to be done in the present context? Firstly, I am humbly putting it before the hon. Home Minister that we should be very careful about the recruitment of police officers, right from the lowest ranks to the highest ranks. What is happening in other independent countries. Where, they have been enjoying democracy for the last so many years? There, recruitment is taking place on a very sound basis. Here, we have hordes of policemen, but they do not have the proper background. Instead of hordes of policemen, kindly recruit police officers, pay them nicely, let them be very bold, courageous and let them be conscientious about their duties. It is very necessary, not only at the Centre, but also in the States, to have recruitment on a very good basis. Secondly, the police officers should also try to forge social sanctions. They should try to associate good citizens in this task, because, whenever a thing is happening in their presence, not only the particular woman, but every- body has to be associated. What is happening now? People look at these things helplessly. This is not going to pay dividends. We should also ask people to associate themselves, wherever these pockets are located. We should see that they also come forward to give their operation to the police officers. Unless we devise some novel methods of tackling this problem, we are not going to solve it. These are my humble suggestions.

ज्ञानी जैल सिंह : आनरेबल ओझा साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और बड़े खूबसूरत शब्दों में इस बीमारी का उल्लेख किया है। उनकी बातों का ध्यान रखा जायेगा। बिल्ला और रंगा जैसे अपराधी लोगों का जब समाज में कोई स्थान न रहे तो हम इस समाज को सुधार नहीं सकते बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकते।

उन्होंने फर्माया है कि पुलिस की शोभा नहीं रही है और भरती करते वक्त हम को सावधानी से भरती करनी चाहिये। उन का सुझाव ठीक है। हम पहले भी सावधान रहे और आगे भी सावधान रहेंगे। परन्तु मैं एक बात कहता हूं, हमारे मानव समाज में जिस परसेंटेज से बुराई मौजुद, है पोलिटिशियनों में, व्यापारियों में, हर एक काम करने वालों में, उसी परसेन्टेज से पुलिस में भी खराबी मौजूद है। अब यह एक बुनियादी बात है जिसको ख़त्म करने के लिए हम को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। डिमोक्रेसी में राज करने में लीडरों का हाथ होता है। बेशक बदल जाए हुकुमत, हुकमरान पार्टी कोई भी हो जाए, हुकुमत में कोई न भी हो, अपोजिशन में हो, लोगों का नेता होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वे भी अपनी जिम्मेदारियों को देखें और उन पर गौर करें ताकि हम इस बात का फैसला कर सकें। सिर्फ पुलिस में

[ज्ञानी जैल सिंह]

ही शरीफ आदमी नहीं चाहिए, हर जगह शरीफ आदमी चाहिए। जब तक समाज में इस बात की कद्र है—दौलत की और बड़ाई की—तब तक इस को खत्म नहीं कर सकते। इस के लिए आप को एक इंकलाबी रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह दौलत इतनी बड़ी चादर है, इतना बड़ा परदा है, जो पापों के ऊपर डाला जा सकता है। क्या आप वाइस चेयरमैन साहिब, मानते हैं कि जिनके पास बेअंत दौलत है, ताकत है, हुकूमत का अहंकार है, वह शैतान नहीं बन जाते और जो बिलकुल भूखे, नंगे, निर्धन,, बे सहारा पटरियों पर सोते हैं वह भी इनसान नहीं रहते, हैवान बन जाते हैं। तो इस के लिए एक बड़ा इंकलाब लाना होगा ताकि हैवानियत को और शैतानियत को खतम किया जाए और इन्सानियत को स्थान दिया जाए। मुझे खुशी है कि ओझा साहब ने सवाल के बजाय सुझाव दिये। मैं उन सुझावों पर गौर करूंगा। इत्तिफाक से ऐसा कालिंग अटेंशन आया जिससे इस सामाजिक खराबी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। मैं अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आप को कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम पार्टी पोलिटिक्स

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad that the hon. Home Minister has talked about revolution. I am also glad about the point which was perhaps referred to by Mrs. Mukherjee that such a situation can be created because of the oppressive system that is prevalent in the country, because of the force that is applied on the weaker section. The upper strata of the society is not encountered with such problems. If it is there, it is there with a change of values. So, it is the lowest strata of the society which is most affected. A very peculiar feature of the thing is, in our House, perhaps about ten or fifteen days back, the Prime Minister herself made a categorical declaration, gave her opinion on the suggestion of the Members from all the sides, that the custodians of law, who are found responsible for such crimes, would be dealt with severely. It is after that that this Baghpat incident has occurred and a feeling is growing that perhaps, in spite of our talks, effective steps are not being taken to put a stop to such things. Therefore, I would request the Home Minister kindly to state whether he would initiate steps to find out whether all the States have fully enquired into the charges, allegations of such atrocities and to gather full information about the final result of the proceedings. He should find out what actions were taken by all the States. Only after this enquiry we will understand whether it is all ending in talks or some actions are being taken by the States also. That is point number one.

Secondly, there is the question of changing laws in connection with rapes and other things. There are many loopholes in those laws. The other day the Law Minister said that soon they would be coming forward with some concrete proposals in consultation with the State Governments. My specific question is whether the Central Government would consider the proposal of immediately convening a meeting of the judicial Ministers of the States or of all the Chief Ministers together with the Union Government and take concrete decisions in the matter of changing the laws, making them more effective, more stringent. I think effective handling of the situation may be possible in spite of the financial constraints.

ज्ञानी जैल सिंह : आनरेबिल मेम्बर साहब ने यह सवाल किया कि प्रान्तों में जो अपराध होते हैं क्या उन की जानकारी

की जाती है। इसके बारे मुझे इतना ही कहना है कि जो बहुत गम्भीर वाकये होते हैं उन में तो जानकारी की जाती है। आम तौर पर प्रान्तीय सरकारों की ही यह जिम्मेवारी है और वे खुद फैसला करती हैं। उनमें तसल्ली नहीं होती और आवाज उठती है तो फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट जानकारी करने के लिए, देखने के लिए उपाय करती है। कानून में जो त्रुटियां रह गयी हैं उन के बारे में उन का ख्याल है कि प्रदेश के कानून मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की हम एक मीटिंग बुलायें और उन पर राय मशविरा करें। बात आप की ठीक है, दुरुस्त है ताकि एक कांप्रेहेंसिव बिल आप के सामने आ जाय। आज की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये कानून में जो जरूरत है वैसा एक कानून यहां आ जाय और पार्लियामेंट में उस पर बहस हो जायेगी और उस से मुख्य मंत्रियों को भी पता लग जायेगा। और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने वाला यह जो कानून बनता है उस में अगर कोई कमी रह भी जायेगी तो बाद में उस को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन मैं मेम्बरों की इस राय से सहमत हूं कि इस में जल्दी करनी चाहिए। देर होने से नुकसान होगा और कानून और व्यवस्था कायम रखने वाले लोगों पर भी हम हाथ डाल सकें इस का भी इंतजाम होना चाहिए। कायदे कानूनों में जो रुकावटें हैं जब तक उन को दूर नहीं किया जाता यह सारी बातें होती रहेंगी। इस लिये सिर्फ यह कानून ही नहीं जितने हमारे रूल्स आफ प्रोसीजर हैं या दूसरे जो कायदे कानून हैं उन को भी हम देखें और देखने के बाद मैं चाहता हूं कि उस में हमें लोगों का कोआपरेशन जरूर मिले और खास कर जो जिम्मेदार लोग हैं उन का मिले। जो किसी पदवी पर होता है चाहे वह चपरासी हो या मिनिस्टर हो उस की बाकी लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी होती है चाहे वह पुलिस में हो या किसी और महकमे में हो और वह कानून की बेइज्जती करता है और समाज में कोई खराबी पैदा करता है तो वह जनसाधारण से ज्यादा पापी है और उस को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो इस मामले पर हम सब की राय ले कर गौर करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Shariq, you have got only one minute. You may ask whatever you want to ask. You are from the Independents' group. Already one Member from that group has been called. So please take as little time as possible.

شری شریف الدین شارق - (جموں و کشمیر) - جناب والا - دونوں طرف سے اس افسوسناک حالات کے بارے میں رونا رویا گیا ہے اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے اس پسماندگی کے وجود کو بند کرنے کی کوشش کی - ہم سب کے لئے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ ہم اتنے بڑے ہندوستان میں اتنے بڑے دیش میں جسکی بڑائی کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر دنیا نے مان لیا ہے وہاں ہم آج اس قدر بداخلاق بن رہے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں ریپ جیسی گندی چیزوں کے لئے بات چل پڑی ہے - اس بنیادی چیز کو ہمکو دیکھنا ہے کہ ہم کو کہاں رہے ہیں - یہ قصور ہمارا ہے - ہم سب کا ہے - یہ سارے سماج کا قصور ہے - اس لئے آخر ہم اخلاقی

[شری شریف الدین شارق]

قدروں دو زادہ کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں - جن اخلاقی قدروں کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے مشعل راہ بنایا تھا - جناب والا ایک فارسی شعر ہے -

تن ہمہ داغ داغ شد
پمبہ کجا کجا نہم

آپ کس کس جگہ پر مرہم رکھیں گے - جبکہ ہمارا سارا وجود زخمی ہو گیا ہے - ہم جہاں بھی گئے بدعنوانیوں کا شکار ہوگئے - ہم جہاں بھی گئے بےانصافیوں کا شکار ہو گئے اور سب اپنے آپ ہی ہوا - آج انگریزوں کے خلاف ہمارے ہوم منسٹر صاحب نہیں بولتے - ہمارے دوسرے آنریبل ممبر صاحبان انگریزوں کے خلاف نہیں بولتے آج وہ راجہ مہاراجوں کی بات نہیں کرتے - آج یہ بات ہمارے لوگوں کے خلاف ہے اور ہم سب اس کے لئے شرمندہ ہیں - لوگ ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں (وقت کی گھنٹی) یہ یہ گھنٹی خود بخود بج گئی یا آپ نے بجا دی - جناب والا - میں ایسے مذاق میں تو اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا - بس ایک ہی عرض ہے میری اس میں - یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پولیس کو جو یہ یونین بنانے کی اجازت ملی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے ہی وہ اپنے جرموں کو پروٹیکشن دیتے ہیں - کیا ہوم منسٹر صاحب اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ یونین بنانے کا اختیار کم سے کم پولیس سے واپس لیا جائیگا -

†[श्री शरीफुद्दीन शारिक (जम्मू और काश्मीर) : जनाबे वाला, दोनों तरफ से इस अफसोसनाक हालात के बारे में रोना रोया गया है और आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब ने इस पसमंदगी के वजूद को बंद करने की कोशिश की। हम सब के लिये यह शर्मिंदगी का मुकाम है कि हम इतने बड़े हिन्दुस्तान में, इतने बड़े देश में जिस की बड़ाई को अखलाकी कदरों की बुनियाद पर दुनिया ने मान लिया है वहां हम आज इस कदर बदअखलाक बन रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट में रेप जैसी गंदी चीजों के लिये बात चल पड़ी है। इस बुनियादी चीज को हम को देखना है कि हम गिर कहां रहे हैं। यह कसूर हमारा है, हम सब का है। यह सारे समाज का कसूर है। इसलिये आखिर हम अखलाकी कदरों को जिन्दा करने के लिये क्या कर रहे हैं। जिन अखलाकी कदरों को हमारे बुजर्गों ने हमारे लिये मशारेराह बनाया था। जनाबेवाला, एक फारसी शेर है :

तन हमा दाग दाग शुद पुंबा कुजा
कुजा निहम।

आप किस किस जगह पर मरहम रखेंगे जब कि हमारा सारा वजूद जखमी हो गया है। हम जहां भी गये बदउन्वानियों का शिकार हो गये, हम जहां भी गये बेइंसाफियों का शिकार हो गये और यह सब अपने आप ही हुआ। आज अंग्रेजों के खिलाफ हमारे होम मिनिस्टर साहब नहीं बोलते। हमारे दूसरे आनरेबिल

†[ ] Devnagari transliteration.

मेम्बर साहबान अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते, आज वे राजे महाराजाओं की बात नहीं करते । आज यह बात हमारे लोगों के खिलाफ है और हम सब उस के लिये शर्मिंदा हैं । लोग हमारे किरदार पर उंगली उठाते हैं । *(Time bell rings)* यह घंटी खुद ब खुद बज गयी या आप ने बजा दी ? जनाबेवाला, मैं एक मिनट में तो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता । बस एक ही अर्ज है मेरी इसमें । यह मेरी जाती राय है कि पुलिस को जो यह यूनियन बनाने की इजाजत मिली हुई है मेरा ख्याल है कि इससे ही वह अपने जुर्मों को प्रोटेक्शन देते हैं । क्या होम मिनिस्टर साहब इस बात को सोच सकते हैं कि यह नियम बनाने का इख्तियार कम से कम पुलिस से वापस लिया जायेगा ।]

ज्ञानी ज़ैल सिंह : : जो बात हमारे माननीय सदस्य नोटिस में लाये हैं उसको हम देख लेंगे ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : माननीय मंत्री जी ने बहुत जोर शोर से सदन में यह कहा है कि वह अत्याचार को खत्म करेंगे और यह तमाम जुल्म नहीं होने देंगे । जिस जोर शोर से उन्होंने आश्वासन दिया है अगर उस पर उसी इरादे से वह रत्ती भर भी उस पर अमल करते तो यह घटनायें नहीं होती । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सही मायनों में वह इस बात पर अमल करना चाहते हैं या नहीं । अब तक अमल कहां हुआ है और अगर अमल हुआ है तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया । क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में हर रोज मैं अखबारों में देखता हूं कि कोई न कोई वाक्या ऐसा जरूर होता है कि फलां जगह वह जल कर मर गयी और यहां दिल्ली में आप जानते हैं कि एक महिला पूर्णिमा सिंह की हत्या की गयी और उस को सुसाइड का नाम दे दिया गया । उसके बारे में आज तक क्या हुआ पता नहीं । मैं हाल ही में हरियाणा गया था होडल गांव में एक इंक्वायरी करने । वहां एक आदमी पुलिस की कस्टडी में मर गया था और एक आदमी पुलिस फायरिंग में मर गया था । उस सिलसिले में जब हम इंक्वायरी कर रहे थे तो एक लड़की हमारे पास आयी । उसका नाम रूपा या कुछ और है । उस ने कहा कि एक पुलिस कांस्टेबिल ने उसको दो दिन पहले गायब कर दिया और तीन दिन तक अपने घर में रखा और तीन दिन के बाद रेप वगैरह कर के छोड़ दिया । उस के बारे में क्या हुआ है । ऐसे वाक्यात दिन ब दिन हो रहे हैं और हमारे साथी के सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि औरतों को अपने हकूक के लिये लड़ना चाहिए तभी समानता होगी । मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप यदि समानता नहीं लाते हैं तो आप अपना पद संभाल नहीं सकते । महिलाओं से कहा जा रहा है कि तुम अपने हकूक के लिए लड़ो । जब तक महिलाओं को आप नहीं बनायेंगे तब तक वह अपने हकूक को संभाल नहीं सकेंगी । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप बतायें कि इस साल में कितने केसेज रेप के हुए हैं । . . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): That is all right Mr. Minister, please start replying.) Mr. Reddy, you cannot go on like this. Actually I was not going to call you, but since you had asked me, i obliged you.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मैं आपसे नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप यह बतायें कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने लोगों को आपने सजा दी और इसके साथ साथ कितने लोग पुलिस के कांस्टेबल्स आदि हैं जिनको सजा दी गई ।....

(Interruptions)

ज्ञानी जैल सिंह :: आनरेबुल मैम्बर साहिबान की मैं कद्र करता हूं लेकिन कोई नया सवाल तो उन्होंने किया नहीं । शक उन्होंने जरूर किया है कि जितना हम कहते हैं, उतना करते नहीं । इस बात का उनको शुबहा है । मैं इतना ही कहूंगा कि यह तो समय बतायेगा कि जो हम कहते हैं उसको करते भी हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम विश्वास रखते हैं--

हम मर्द वायद सुखनवर
न शिकमे जिगर दर्दे हामिन ।

हम तो इंसान उसको समझते हैं जिसके दिल और दिमाग में एक ही बात हो । जो वह कहता हो वह करता भी हो इस पर विश्वास रखते हैं। आपका कोआपरेशन चाहिए । आपने जो कहा उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Rameshwar Singh. Only two minutes please. I can't really give you more. I am going against the rules.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं दो-तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ...

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : दो मिनट सिर्फ, तीन मिनट नहीं ।

श्री रामेश्वर सिंह :: श्रीमन्, ज्ञानी जैल सिंह जी हमसे सीनियर हैं । इन्होंने फरमाया कि बुराई पोलिटिकल पार्टी के नेताओं के अन्दर भी है और समाज के अन्दर भी है । तो यह मैं मानकर चल रहा हूं कि यह बुराई ज्ञानी जैल सिंह जी में है और हम लोगों में यह बुराई शायद कम है क्योंकि मैंने अभी चार रोज पहले इस सवाल को उठाया था । मैं जानना चाहता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर क्या किया । माननीया प्रधान मंत्री महिला हैं, इस वक्त बहुत दुखी हैं, हमें उनके प्रति सहानुभूति है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): That is all right, Mr. Rameshwar Singh. '.

श्री रामेश्वर सिंह : आज वह हाउस में नहीं हैं लेकिन एक महिला प्रधान मंत्री के रहते हुए जब से मैं इस सदन में आया हूं दो साल से, कोई भी ऐसा दिन और कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जब महिलाओं के ऊपर बात न होती हो । *(Time bell rings)* एक मिनट का समय और दे दीजिए । मैं यह कह रहा था कि अगर समाज के सभी लोग ऐसा करते हैं तो इसके लिये आप कह सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं एक तो वह जो गुंडे और बदमाश होते हैं और जो किसी से डरते नहीं हैं और दूसरा वह तबका है जिसके हाथ में बंदूक की गोली है जिससे समाज आतंकित रहता है, डरता है, जिसे पुलिस फोर्स कहते हैं । महिला को नंगा घसीट कर उसको तंग करना, उसको रेप करना और उसके पति को मार डालना क्या यह इसी तबके ने नहीं किया । यह सब होने के बाद भी आप आज तक वहां नहीं गये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI .A. G. KULKARNI): That is all right.

श्री रामेश्वर सिंह : यह सरकारी पक्ष के लिये शर्म की बात है, आपके लिये शर्म की बात है । आप यहां हाऊस में बैठ कर यह कहते हैं कि हम जायेंगे । आपको शर्म नहीं आती है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Yes, Mr. Minister, you s[a]y whatever you want to.

श्री रामेश्वर सिंह : आप यह चाहते हैं कि विरोधी पक्ष को दबा देंगे यह नामुमकिन बात है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Will not go on record now.

{Shri Rameshwar Singh Continued to Speak.)

ज्ञानी जैल सिंह : सम्मान योग्य वायस चेयरमैन साहब, 'आप न दें चुल्लु भर पानी, चाहे निगल जाए गंगा।' आप चुल्लु भर पानी किसी को दे नहीं सकते और जो शिव भगवान गंगा लाये हैं उनकी निन्दा करने के लिये खड़े हो जाते हैं । आनरेबुल मेम्बर साहब ने बड़े जोर से कहा कि आपको शर्म नहीं आती । पहली बात तो यह है कि आपको शर्म इस शब्द के कहने से आनी चाहिये थी । अगर आप में शर्म होती तो आप इस सभा में 'शर्म नहीं आती' का लफ्ज इस्तेमाल न करते । मैं जानता हूं कि शर्म किसको कहते हैं। हम जानते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है हिन्दुस्तान की आजादी के लिये । हम जानते हैं कि हमने अपनी जवानी के दिन जेलों में बिता कर यह स्थान लिया है, लोगों ने स्थान लिया है, किसी से छीन कर नहीं लिया है । मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं । आपका यह ख्याल है कि आप में खराबियां नहीं हैं मैं यह नहीं कहता लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि होम मिनिस्टर में खराबियां है यह आपको नहीं कहना चाहिये था । आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं कही । आपको समझना चाहिये कि इस आनरेबुल हाउस में एक दूसरे मेम्बर के साथ किस तरह से इज्जत से बात करनी चाहिये । एक दूसरे के साथ इज्जत से बात करना सीखिए । चेयरमैन साहब, मैं आपको भी कहता हूं कि मैंने कभी किसी के खिलाफ बेइज्जती का लफ्ज तक नहीं कहा । इसलिये मैं अपनी बेइज्जती सह भी नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता । मैं चाहता हूं कि वह शब्द उनको वापस लेने चाहियें और पालियामेंट के जो कायदे कानून हैं वे कायम रहने चाहियें ।

श्री रामेश्वर सिंह : आपको बागपत जाना चाहिये था ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): I will do that. Mr. Gupta now on special mention.

SHRI BHUPESH _GUPTA (West Bengal): Sir, I have not much to say. First of all, I would like only to make one suggestion before I make one or two other points. I think there are many women's organisations in the country. Some are well established.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Is it on special mention?

SHRI BHUPESH GUPTA; This is on atrocities.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): No, you speak on special mention. Please co-operate with me.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right. I did give notice of a Calling Attention motion. Our party was not at all called.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): But there is no name.

SHRI BHUPESH GUPTA; That was not necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Now go on to the special mention.

SHRI BHUPESH GUPTA: Anyway, I will obey you.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): One man from each party is to be allowed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A G. KULKARNI): Please don't introduce new systems. Here I have got a list where CPI... *(Interruptions)* If it was given by the Whip, I would have called him.

SHRI BHUPESH GUPTA: You better hear me on this. I am not disobeying you. The only thing I am saying is that you are entirely wrong.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G-KULKARNI): No, Sir. You are wrong. I am quite right

SHRI BHUPESH GUPTA: I shall not ask anything. In the past...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Whichever is your party, it has not given the name here. It is the duty of the whip to give the name. It is not *suo* motu that we call the names. Now please make your special mention.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I must make my submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): We will discuss this in the chamber. Now why are you taking time?

SHRI BHUPESH GUPTA: You do not even listen. I would not have got up on it if the rules would not have is been there. *(Interruptions)*

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमन्, आप जानते हैं कि पार्टीवाइज नाम होते हैं, लेकिन अगर नाम न भी हों तो जो बोलना चाहता है उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Yes, go ahead.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is the established rule. The names are not there. How many names are there from each party. One will be at least called from each party. That was the rule. Anyway, Sir, I do not quarrel with you. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Yes, please go ahead. Mr. Shahi please do not disturb.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am a little surprised that when you go to the chair, you forget what you do there

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): I behave as vice-Chairman here. Go ahead now please.

SHRI BHUPESH GUPTA: Anyway, I am very sorry that you have not allowed me to speak on a subject on which I wanted to speak.

REFERENCE TO A CIRCULAR LETTER, ADDRESSED BY THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, TO ALL MEMBERS OF PARLIAMENT IN REGARD TO CONVENTIONS TO BE OBSERVED BY MEMBERS IN ADDRESSING CMMUNICATIONS TO THE MINISTERS AND SECRETARD3S TO THE GOVERNMENT OF INDIA

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, only the day before yesterday, I think, we, all the Members of Parliament, received a circular letter addressed "Dear friend", from the Minister of Parliamentary Affairs, giving us a lot of advice on how we. should function as Members of Parliament. The gratuitous advice is unnecessary. We know how one should function. Apart from that, your Secretariat makes it known. We function according to the rules, not according to a circular letter of the Minister.

Some of the things are very objectionable in this letter. For example, it is said that in regard to matters such as fraud, corruption, bribery, maladministration, nepotism etc. in the administration, a letter should be addressed to. the Minister or ttie Minister of State and that its copy may